फर्द अहकाम

(नियम 26)

...व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/361 बअनवान देवेन्द्रसिंह वगैरा बनाम भरत कुमार वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05-08-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रार्थीगण जो कि स्व0 इन्दा पुत्र जीवाजी भांबी के वारिस है, की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से दलील दी जा रही है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सादलवा के गत खसरा नंबर 38 से बनी है तथा गत खसरा नंबर 38 में से रकबा सवा छः बीघा एवं पांच बीघा चार बिस्वा कुल 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्राथीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज इन्दा पुत्र जीवा भांबी को दिनांक 03.01.1979 को आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति द्वारा की गई थी। जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 129 भी दायर किया गया था परंतु उक्त नियमन कार्यवाही के दौरान तहसील बाली में भू प्रबंध कार्यवाही चलने से अप्रार्थीगण के पिता हीराराम ने भू–प्रबंध अधिकारियों के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज इन्दा पुत्र जीवाजी को आंवटित भूमि गत खसरा नंबर 38 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा में नियमनशुदा भूमि जिसके भूप्रबंध बाद नये खसरा नंबर 132 रकबा 1.25 हैक्टर बने है, में अपने अकेले का नाम दर्ज करवाते हुये मिसल बंदोबस्त में अकेले हीरा पुत्र इंदा कौम मेघवंशी का नाम दर्ज करवा लिया। जबकि वक्त नियमन से प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण के पिता हीराराम ने गैर कानूनी रूप से रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर दिनांक 07.2.2022 को अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के नाम पंजीबद्ध बख्शीशनामा निष्पादित करवाते हुये अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 का नाम गलत रूप से दर्ज करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को आधार बनाते हुये प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि का अन्यत्र और बेचान करने पर आमादा है। जिस हेतु प्रार्थीगण ने अपने पिता को नियमनशुदा वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित कर विभाजन के वाद के साथ अप्रार्थीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की है। जिसके निस्तारण मे समय लगेगा एवं इस दौरान यदि अप्रार्थीगण अपने मसूंबों में सफल हो जाते है तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हाने से वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/8 के अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा द्वारा दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि भूप्रबंध से पूर्व दिनांक 23.12.75 को हीरा पुत्र इंदा के नाम गैर खातेदारी दर्ज हो चुकी थी तथा हीरा पुत्र इन्दा के खातेदारी भूमि होने से सादलवा के हाल खसरा नंबर 132 रकबा 1.25 हैक्टर का बख्शीशनामा अप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 07.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के पक्ष में करने से अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात नियमन आदेश दिनांक 03.01.1979, नामांतरकरण संख्या 129 दिनांक 05.01.1979 एवं जमाबंदी संवत 2028 से 2032 में किये इन्द्राज के अवलोकन एवं अस्थाई	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला बनना, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात ताफैसला वाद रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि सादलवा के गत खसरा नंबर 38 में से दिनांक 03.01.1979 को प्रार्थीगण के पिता इन्दा पुत्र जीवा को नियमनशुदा भूमि 11 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 132 रकबा 1.25 हैक्टर के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद के निर्णय तक बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के आनेवाले 1/2 हिस्से की भूमि से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें साथ ही बेचान हस्तांतरण भी नहीं करें। इस हेतु ताफैसला वाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner